भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

निदेशक (मुख्या०)/एए/2015/006 **दिनांक: 03 जून, 2015**

विषय: दिनांक 19.05.15 को प्राप्त दिनांक 28.04.15 की पहली अपील।

अपीलकर्ता : श्री पवन कुमार , मुजफ्फरनगर।
प्रतिवादी : श्री राजिन्दर कुमार , सीपीआईओ और अवर सचिव (एडी -1), राजस्व विभाग।

मामले के तथ्य

1. 147 गाँधी कालोनी मजफ्फरनगर, उत्तरप्रदेश 251001 के निवासी श्री पवन कुमार से दिनांक 06.03.2015 का आरटीआई आवेदन, जो निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता था, श्री राजिन्दर कुमार , सीपीआईओ और अवर सचिव (एडी -1), राजस्व विभाग को अग्रेषित किया गया था:

i) वर्तमान अध्यक्ष (सीबीडीटी) का
   a. नाम
   b. शैक्षणिक योग्यता
   c. फोन नंबर
   d. नियुक्ति की तिथि
   e. मुख्य कर्तव्य एवं अधिकार, आदि विवरण दें।

ii) वर्तमान उक्त अध्यक्ष जब से (A)सरकारी सेवा में (B) विभागीय सेवा मे नियुक्त हैं

iii) ये अपने सेवा काल मे (I) जब जब (II) जिस जिस पद पर (III) जिस जिस कार्यालय (पता) मे नियुक्त रहे/रहीं।

सीपीआईओ द्वारा की गई कार्रवाई

2. आरटीआई आवेदन के उत्तर में सीपीआईओ और अवर सचिव (एडी -1), श्री राजिन्दर कुमार ने दिनांक 07.04.2015 को बिंदुबार सूचना आवेदनकर्ता को भेज दी थी ।

दायर अपील

3. श्री राजिन्दर कुमार , सीपीआईओ और अवर सचिव (एडी -1), राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 07.04.15 को प्रेषित जबाब के विरूद्ध असंतुष्ट होकर श्री पवन कुमार ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और निदेशक (मुख्यालय) को दिनांक 28.04.2015 को अपील दायर की, जो कि दिनांक 19.05.15 को प्राप्त हुई। अपीलकर्ता श्री पवन कुमार ने बताया कि उन्हे उक्त आवेदन के बिन्दु i)e. की प्राप्त सूचना से असंतुष्टि है एवं आर टी आई धारा के u/s 4(1) मे उल्लेखित नियम के अनुसार अपूर्ण प्राप्त प्रतीत होती है।

निर्णय और कारण

4. दिनांक 28.04.2015 की अपील के उत्तर में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) ने श्री पवन कुमार की अपील पर सीपीआईओ की टिप्पणी मांगी। श्री राजिन्दर कुमार , सीपीआईओ और अवर सचिव (एडी-1) ने बताया कि आवेदक ने बिन्दु i)e के तहत अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुख्य कर्तव्य एवं अधिकार के बारे मे जानकारी मांगी थी, अत: सूचित किया गया था कि "वह सभी प्रत्यक्ष करों के अधिनियमों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का प्रशासन करते है।" सूचना का अधिकार अधिनियम धारा का भाग 4 (1) कंप्यूटरीकरण, सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड्स / डेटा और सक्रिय प्रकटीकरण के डिजिटलीकरण से संबंधित है। समुचित जानकारी विभाग की बेबसाइट http://dor.gov.in./ पर उपलब्ध है।

5. सीपीआईओ द्वारा प्राप्त टिप्पणी और विभागीय बेबसाइट को देखने पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने पाया की मागी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के भाग 4 (1) (ख) सक्रिय प्रकटीकरण के तहत पूर्णत: उपलब्ध नहीं है। अत: श्री राजिन्दर कुमार , सीपीआईओ और अवर सचिव (एडी-1) को आदेश दिया जाता है कि आवेदनकर्ता को 15 दिनो के अंदर समुचित जानकारी उपलब्ध की जाये।

6. तदनुसार, अपील निपटाई जाती है।

7. आवेदनकर्ता, यदि चाहता है, तो 90 दिनों के भीतर इस आवेदन के विरूद्व केंद्रीय सूचना आयोग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 के समक्ष आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत अपील कर सकता है।

3.6.15

(अजय कुमार नेमा)
निदेशक (मुख्यालय) और
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री पवन कुमार
147, गाँधी कालोनी मजफ्फरनगर,
उत्तरप्रदेश 251001

प्रतिलिपि निम्न को अग्रेषित:

1. श्री राजिन्दर कुमार , सीपीआईओ और ।
2. श्री श्रीकुमार अवर सचिव (एडी -1 ए)/ (आरटीआई प्रकोष्ठ), राजस्व विभाग - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के भाग 4 (1) (ख) सक्रिय प्रकटीकरण के तहत विभागीय बेबसाइट अधतन करने हेतु ।
3. श्री जी.एन. शर्मा, अनुभाग अधिकारी (आरटीआई प्रकोष्ठ), राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।